# HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi- 110019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, UP, India
Tel: +91 11 26444812; Fax: +91 11 26436336
Website: www.hcltech.com; E-mail ID: Investors@hcl.com

### NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

#### TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on September 7, 2016, and amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend(s) remain unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years shall be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority (the "IEPF DEMAT Account") within 30 days from the due date of transfer.

Further, pursuant to the notification issued by MCA dated October 13, 2017, where the said period of seven years has been completed during the period from September 7, 2016 to October 31, 2017, the due date of transfer shall be October 31, 2017. Accordingly, such shares shall be transferred to the IEPF DEMAT Account by November 30, 2017.

The bonus shares issued on such shares and the dividend lying unpaid / unclaimed on these shares (including bonus shares) till October 31, 2017 shall also be credited to the IEPE.

The Company has uploaded on its website <a href="https://www.hcttech.com/investors/iepf-details">https://www.hcttech.com/investors/iepf-details</a> the details, including the Names and Folio number / DP ID - Client ID, of the shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account. The Company has also sent individual notices to such shareholders at their latest available addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA").

Shareholders may note that both the unpaid / unclaimed dividend(s) and the corresponding shares transferred to the IEPF DEMAT Account including all benefits, if any, accruing on such shares after the date of transfer to the IEPF DEMAT Account can be claimed from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF DEMAT Account in accordance with the prescribed Rules and upon such issue, the original share certificate(s) registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may also note that, necessary Corporate Action shall be initiated by the Company to transfer the shares to the IEPF DEMAT Account.

The shareholders are requested to write to the Company at HCL Technologies Limited, 14th Floor, Tower 6, Plot 3A, Sector 126, Noida-201 304 on or before November 23, 2017 for making a valid claim for the unpaid / unclaimed dividend(s). In case no valid claim has been made, the said shares will be transferred to IEPF DEMAT Account by the due date as per the procedure stipulated in the Rules.

Date: November 10, 2017

Place: Noida (U.P.)

For HCL Technologies Limited

Manish Anand Company Secretary

HCL

## एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L74140DL1991PL0046369 पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्ष, ९६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९ कॉर्पेरिट कार्यालय : प्लाट नं. ३ए, सेक्टर-१२६, नोएडा-२०१ ३०४, उ.प्र., भारत फोन: +९१ ११ २६४४४८१२, फैक्स: +९१ ११ २६४३६३३६ वेबसाइट: <u>www.ictech.com</u> ई-मेल आईडी: <u>Investors@icl.com</u>

### इक्वीटी शेयरधारकों के लिए सूचना

इक्वीटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') की धारा १२४ (६) के प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के द्वारा अधिसूचित किये गये, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम २०१६ (नियम'), जिनकी प्रभावी तिथि ७ सितंबर २०१६ है और जो समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, के नियम ६ के अनुसार, जिन शेयरों के लगातार सात वर्षों तक लाभांश असंदत्त व अदावाकृत हैं, वे सभी शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में नियत तिथि के ३० दिनों के अंदर अंतरित कर दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त १३ अक्तूबर, २०१७ दिनांकित एमसीए की अधिसूचना के अनुसार यदि कथित सात वर्षों की अवधि ७ सितंबर, २०१६ से ३१ अक्तूबर, २०१७ के दौरान पूरी हो गयी है तो अंतरण की नियत तिथि ३१ अक्तूबर, २०१७ होगी। तदनुसार, वे सभी शेयर ३० नवंबर, २०१७ तक आईईपीएफ के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

साथ ही, इन शेयरों से संबंधित ३१ अक्तूबर, २०१७ तक जारी किये गये बोनस शेयर और बोनस शेयर समेत सभी शेयरों पर असंदत्त व अदावाकृत लाभांश भी आईईपीएफ खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

कम्पनी की वेबसाइट https://www.hcltech.com/investors/iepf-details पर ऐसे शेयरधारक जिनके शेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाशंश असंदत्त व अदावाकृत हैं, उनके नाम, फोलियो संख्या या डीपी आईडी-क्लाईन्ट आईडी के साथ उनके पूरे विवरण अपलोड कर दिये गये हैं। कम्पनी इन शेयरधारकों को उनके कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेंट ('आरटीए') के पास दर्ज हुए नवीनतम पते पर व्यक्तिगत सूचना भी भेज दी गयी है।

शेयरघारक कृपया ध्यान रखें कि असंदत्त व अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित संबंधित शेयर, सभी लाभों के साथ, यदि कोई हो, आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के बाद भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया से आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित होने वाले हैं कृपया ध्यान दें कि, कम्पनी, नियमानुसार आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के लिए मूल शेयर प्रमाण-पत्र के बदले डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगी और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, शैयरधारकों के नाम पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण-पत्र अपने-आप रद्द हो जाएंगे और इन्हें लेन-देन योग्य नहीं माना जाएगा।

शेयरघारक यह भी ध्यान रखें कि आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयर अंतरित करने के लिए कंपनी आवश्यक कॉरपोरेट कार्यवाई प्रारंभ करेगी।

शेयरघारकों से आग्रह है कि असंदत्त व अदावाकृत लाभांश पर वैध दावा करने के उद्देश्य से २३ नवंबर, २०१७ या इस के पहले कम्पनी को इसके पते, १४वीं मंजिल, टॉवर ६, प्लॉट ३ए, सेक्टर १२६, नोएडा-२०१३०४ पर लिखें। यदि इस संबंध में कोई वैध दावा नहीं किया जाता है तो संबद्ध शेयर उल्लिखित प्रक्रिया के नियम अनुसार नियत तिथि तक आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

तिथि : नवंबर १०, २०१७ सीीन : नीएडा (उ.प्र.) मनीष आनंद कम्पनी सचिव

HCL